

**अनुमानों की शर्तें ।**

- (1) एक नगर-सुधारक ने निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (विशेषतः राजस्व, अधिकारों या अन्य) होने की स्थिति में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निर्माण किसी बलिदान के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) नगर निर्माण कार्य प्रारंभ करने से आवश्यक विभाग को सूचित कराया ।
- (4) स्वीकृत नगर के विस्तार निर्माण पाद ज्ञान पर स्वीकृत विस्तार की जा सकती है ।

**सुधार (प्लान) केवल आवासीय भूखण्डों के लिए**

**कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

आवेदन क्रमांक 886 दिनांक 03/02/2021

माथी हरी नगर विकास आँकड़ा कार्यालय

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 104 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पत्र

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 31,000/- जमा

जरिये रसीद संख्या 7067/1116/1431 दिनांक 03/02/2021 जो जमा करा दी है ।

र. नं. 150 बाम डी.डी. जयपुरा संख्या 02  
जिस पर एच.बी. बी.जे.एल

**पारस जयसवाल**

सहायक नगर निर्माणक  
नगर निगम, जोधपुर

**नि. 85**

33/1/2021 7-12-2021

931/2021 7-12-2021